(129)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0 सी0 जैन**

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 894–एक/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–2–2010 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 110/अपील/2008–09.

पंचायत मारवाड़ी बिरादी गांधी रोड
सीहोर तहसील व जिला सीहोर द्वारा
पंचगण सीहोर म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

ब्रज किशेर आत्मज रामेश्वर दयाल कनोजिया
निवासी लोहार गली छावनी सीहोर म0प्र0

—— अनावेदक

श्री के0 ए0 कुरैशी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नगर सीहोर की शीट कमांक 99 भूखण्ड कमांक 416 शीट कमांक 99 भूखण्ड कमांक 417 एवं शीट कमांक 107 भूखण्ड कमांक 88 के संबंध में नजूल अधिकारी सीहोर द्वारा संहिता की धारा–57 (2) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 28.9.1974 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर सीहोर के समक्ष अपील पेश की गई तथा विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधाना की धारा–5 का आवेदन पेश किया गया। जांच

उपरांत अपर कलेक्टर सीहोर ने आदेश दिनांक 28.9.1974 के द्वारा अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन पत्र अस्वीकार किया। अपर कलेक्टर सीहोर के उक्त आदेश से परिवेदित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि अनावेदक द्वारा न्यायालय नजूल अधिकारी जांच सीहोर द्वारा प्रकरण कमांक 392/अ–1/73–74 से परिवेदित हो लगभग 33 वर्ष पश्चात जानकारी का मिथ्या स्त्रोत दर्शाते हुये समय अवधि बाहर अति रिक्त कलेक्टर सीहोर के न्यायालय में एक अपील कमांक 42/अपील/06 बृजकिशोर विरूद्व शासन आदि धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा उक्त अपील में धारा 5 अवधि विधान अधिनियम के आवेदन पत्र को विलम्ब क्षमा हेतु पर्याप्त कारण नहीं पाते हुये अपील समयअवधि बाहर पेश पाते हुये दिनांक 4.10.08 को आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में आगे कहा है कि अनावेदक की ओर से वर्ष 1974 में पारित आदेश की अपील लगभग 33 वर्ष पश्चात असत्य आधारों पर प्रस्तुत की गयी थी जब कि अनावेदक को नजूल अधिकारी जांच सीहोर द्वारा प्रकरण कमांक 392/अ–1/73–74 पंचायत मारवाडी बिरादरी विरूद्व म0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक 28.9.74 की जानकारी व्यवहार वाद कमांक 29/अ–6 बृजकिशोर विरूद्व अमित सोनगरा आदि में दिनांक 20.5.06 को निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के उततर के द्वारा भी हो चुकी थी। जबकि अनावेदक ने उक्त आदेश की जानकारी इसी व्यवहार वाद में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 17.7.06 के द्वारा होना वर्णित किया है जो कि असत्य एवं मिथ्या है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया। आवेदक अधिवक्ता ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

5– अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रतीत होता है के प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य हैं कि उभयपक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय ने प्रश्नाधीन ाूमि के संबंध में विवाद चल रहा थां ऐसी दशा में व्यवहार न्यायालय ने व्यतीत हुये समय को समयावधि की गणना में कम किया जाना

चाहिये माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णिय में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया हे कि समयावधि के संबंध में न्यायालय को पक्षकारों के प्रति लचीला रूख अपनाना चाहिये ताकि उन्हें समुचित न्यायदान प्राप्त हो सके। अधीनस्थ अपर कलेक्टर न्यायालय ने समयावधि के बिन्दु पर अपील अस्वीकार करने में त्रुटि की है। इसलिये में आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के आदेश से सहमत हूँ और उनके आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूं। अतः आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 110/अपील/08–09 में पारित आदेश दिनांक 16.2.10 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर